




भारत सरकार
राजस्व मंत्रालय
आयकर विभाग
कार्यालय आयकर आयुक्त,
न्यू सी.जी.ओ कम्प्लेक्स, एन.एच. (IV), एन.आई.टी. फरीदाबाद।

1. फाइल संख्या : आ.आ./फरी./तक/80जी/2011-12/169/51/3553
2. प्रार्थी का नाम एवं पूरा पता : मिशन जार्गती,
सी-194, फिरोज गांधी नगर (डबुआ कॉलोनी),
फरीदाबाद।
3. हैसियत : सोसायटी
4. आदेश की तारीख : 20.09.2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी(5) के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम
11कक(4) के अधीन छूट हेतु आदेश

मिशन जार्गती, सी-194, फिरोज गांधी नगर (डबुआ कॉलोनी), फरीदाबाद, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत छूट हेतु दिनांक 21.03.2012 को आवेदन निर्धारित फार्म 10जी भरकर इस कार्यालय में दाखिल किया है। सोसायटी पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत आदेश संख्या आ.आ./फरी./तक/12ए/ 2011-12/168/49 दिनांक 20.09.2012 को पंजीकृत है।


2. यह सत्यापित करने के लिए धारा 80जी के अधीन सभी शर्तें छूट हेतु पूरी कर ली गई हैं, पत्र फ. सं आ.आ./फरी./तक/80जी/169/2011-12/2971 दिनांक 21.08.2012 सोसायटी को जारी किया गया था और सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यौरों और दस्तावेजों को जांचा गया।
3. दिनांक 21.03.2012 को सोसायटी द्वारा दाखिल किये गए प्रार्थना पत्र और मेरे समक्ष दिनांक 19.09.2012 को निवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यौरों व दस्तावेजों को जाँचने के पश्चात, मैं सोसायटी के उद्देश्यों और उनके कार्य-कलापों की वास्तविकता से सहमत हूं। सोसायटी को दिये



- भिशन जार्गती, सी-194, फिरोज गांधी नगर (डबुआ कॉलोनी), फरीदाबाद -
- धारा 80जी -

गये दान के फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 80जी व उससे संबंध नियमों के अंतर्गत दानकर्ता को छूट प्राप्त होगी इस संबंध में कानून की सभी अपेक्षाओं की अनुपालना जारी रहेगी।

4. यह आदेश छूट के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 संबंधित निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं इसके उपरान्त के वर्षों पर लागू होगा।



हस्त/

(नीना कुमार)

आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।

प्रतिलिपि:

1. भिशन जार्गती, सी-194, फिरोज गांधी नगर (डबुआ कॉलोनी), फरीदाबाद।
2. अपर आयकर आयुक्त, रेज-II, फरीदाबाद।
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-II, फरीदाबाद।


(अनिल कुमार लुबाना)

सहायक आयकर आयुक्त, मुख्य. (तक)
कृते आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।